141

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-3-2/2009/3-एक, भोपाल, दिनांक 12-1-2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,म.प्र.ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
मध्य प्रदेश ।

विषयः– अतिशेष शासकीय सेवकों के संविलियन किये जाने पर समयमान वेतन का लाभ देने बावत् ।

संदर्भः– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ –1–1/1/वे.अ.प्र./99 दिनांक 22.06.04

कृपया संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करे, जिसके द्वारा शासन के किसी एक विभाग के अतिशेष शासकीय सेवक को शासन के अन्य विभाग/स्थापना में नियुक्ति/संविलियन होने की स्थिति में उसके पैतृक विभाग/स्थापना की सेवाओं को संगणित करते हुए क्रमोन्नति योजना का लाभ दिए जाने के निर्देश जारी किए गए है।

2/ वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11/1/2008 /नियम/चार दिनांक 24.01.08 द्वारा क्रमोन्नति योजना को संशोधित करते हुए राज्य के सिविल सेवा के सदस्यों के लिए समयमान वेतन योजना लागू की गई है । शासन द्वारा पूर्ण विचार उपरांत निर्णय लिया गया है कि किसी एक विभाग के अतिशेष शासकीय सेवक का यदि राज्य शासन के अधीनस्थ किसी दूसरे विभाग/ स्थापना में नियुक्ति /संविलियन होता है इस स्थिति में उसके पैतृक विभाग/स्थापना की सेवाओं को संगणित करते हुए क्रमशः 8/16 वर्ष अथवा 10/20 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण होने पर समयमान वेतन का लाभ दिया जावेगा । यह लाभ केवल समयमान वेतन के लिए प्राप्त होगा वरिष्ठता के लिए नहीं। समयमान वेतन का लाभ शासकीय सेवकों को केवल उन पदों पर प्राप्त होगा, जिसमें संविलियन भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती के पदों पर किया गया है ।

3/ यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किए जा रहें है ।

12/1/09
(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन

पृ.कमांक C-F-3-2/2009/3-एक,

भोपाल,दिनांक 12/1/09

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय ,मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव,लोकायुक्त,मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव,मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय,भोपाल
7. प्रमुख सचिव / सचिव,मुख्य मंत्री,मुख्य मंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश,भोपाल
8. मंत्री / राज्य मंत्रीगण के निज सचिव / निज सहायक ,मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्य प्रदेश,भोपाल
10. सचिव,मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल
11. अध्यक्ष,व्यावसायिक परीक्षा मंडल,मध्य प्रदेश,भोपाल
12. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता,मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,खण्डपीठ इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर ।
13. महालेखाकार,मध्य प्रदेश, ग्वालियर / भोपाल
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
15. उप सचिव / अवर सचिव,स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी मध्य प्रदेश,मंत्रालय भोपाल।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव,मंत्रालय भोपाल
17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय,मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव,मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल
19. अध्यक्ष,मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष,शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल ।

9/1/09

(व्ही.एस.सावनेर)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग